2015 का विधेयक सं.18

राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में विरासत आस्तियों की पहचान, प्रलेखीकरण, संरक्षण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विरासत संरक्षण अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. अधिनियम का लागू नहीं होना.- इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(i) संसद् द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या इसके अधीन घोषित राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों, या पुरातत्वीय स्थलों या अवशेषों पर;

(ii) कोई पुरावशेष जिन पर, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 24) लागू होता है;

(iii) कोई पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति जिस पर पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) लागू होता है; या

(iv) कोई भी प्राचीन या ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल या अवशेष या पुरावशेष जिन पर राजस्थान संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 19) लागू होता है।

3. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकरण" से धारा 12 के अधीन गठित राजस्थान विरासत प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में, विनिर्दिष्ट राज्य सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है:

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी और उनकी भिन्न-भिन्न अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) किसी विरासत आस्ति के संबंध में, "संरक्षण" से उस आस्ति का ऐसी रीति से प्रबन्ध अभिप्रेत है जिससे उस आस्ति का विरासत महत्व बना रहे और इसमें उस आस्ति का परिरक्षण, संरक्षा, पुनर्भरण, पुन:संनिर्माण, अनुकूलन और रखरखाव सम्मिलित है;

(घ) "संनिर्माण" से किसी संरचना या किसी भवन का कोई निर्माण अभिप्रेत है जिसमें इसका कोई परिवर्धन या विस्तार, या तो लम्बवत् रूप से या क्षैतिज रूप से, सम्मिलित है किन्तु इसमें किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:संनिर्माण, मरम्मत या नवीकरण सम्मिलित नहीं है;

(ङ) "परिषद्" से धारा 10 के अधीन गठित राजस्थान राज्य विरासत परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "विरासत आस्ति" से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा प्राकृतिक अनुलग्नकों से संबद्ध निर्मित विरासत अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे भवन, संरचनाएं, स्थल, गलियां, स्थलदृश्य, उद्यान, बगीचे, परिक्षेत्र, प्रसीमाएं, कस्बे और अन्य प्राकृतिक वैशिष्ट्य

और स्थल हैं, जो निर्मित विरासत से संबद्ध हैं और जिनका सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय या आध्यात्मिक महत्व है;

(छ) "विरासत उप-विधियां" से धारा 9 के अधीन बनायी गयी विरासत उप-विधियां अभिप्रेत हैं;

(ज) "विरासत डाटा बैंक" से समस्त विरासत आस्तियों का अभिलेख और विरासत आस्तियों से संबंधित अन्य डाटा अभिप्रेत है;

(झ) "विरासत निधि" से धारा 22 के अधीन स्थापित राजस्थान विरासत निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "महत्व का स्तर" वह संदर्भ उपदर्शित करता है जिसमें कोई विरासत आस्ति महत्वपूर्ण है। किसी विरासत आस्ति के महत्व के स्तर एक से अधिक हो सकते हैं, तथापि, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महत्व के निम्नलिखित तीन स्तरों का ध्यान रखा जायेगा, अर्थात्:-

(i) राज्य स्तरीय महत्व- ऐसी आस्तियां जो वैश्विक, राष्ट्रीय या राज्य महत्व की हैं और विरासत डाटा बैंकों में राज्य स्तर की विरासत के रूप में सूचीबद्ध हैं;

(ii) जिला स्तरीय महत्व- ऐसी आस्तियां जो क्षेत्रीय या जिला स्तर के महत्व की हैं और विरासत डाटा बैंक में जिला स्तर की विरासत के रूप में सूचीबद्ध हैं;

(iii) स्थानीय स्तरीय महत्व- ऐसी आस्तियां जो शहर स्तर या स्थानीय स्तर महत्व की हैं और विरासत डाटा बैंक में स्थानीय स्तर की विरासत के रूप में सूचीबद्ध हैं;

(ट) "सूचीबद्ध करना" से विरासत आस्तियों का प्रलेखीकरण और इन आस्तियों को उनके महत्व के

स्तर के अनुसार विरासत प्रास्थिति प्रदान करना अभिप्रेत है;

(ठ) "स्थानीय प्राधिकारी" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था, राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) के अधीन गठित अजमेर विकास प्राधिकरण या अन्य कोई प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाये;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "पुन:सन्निर्माण" से किसी संरचना या भवन की क्षैतिज और लम्बवत् परिसीमाएं समान रखते हुए, पूर्व में विद्यमान संरचना का निर्माण अभिप्रेत है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "मरम्मत और नवीकरण" से पूर्व-विद्यमान संरचना या भवन में परिवर्तन अभिप्रेत हैं किन्तु इसमें संनिर्माण या पुन:सन्निर्माण सम्मिलित नहीं होंगे;

(थ) "प्रभारी सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी सचिव हो।

4. विरासत आस्तियों का वर्गीकरण और श्रेणी विभाजन.- (1) राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, विरासत आस्तियों के प्रवर्ग विहित करेगी और ऐसे प्रवर्ग विहित करते समय वह सौन्दर्यपरक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय या आध्यात्मिक, पुरातत्वीय और स्थापत्य-संबंधी मूल्य और ऐसे अन्य कारकों का ध्यान रखेगी जो ऐसे प्रवर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सुसंगत हों।

(2) राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, उप-धारा (1) के अधीन विहित वर्गीकरण के अनुसार समस्त विरासत आस्तियों को वर्गीकृत करेगी और तत्पश्चात् उसको जनता के लिए उपलब्ध करवायेगी और उसको अपनी वेबसाईट पर और अन्य ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, दर्शित करेगी।

5. कतिपय विरासत आस्तियों की संरक्षित विरासत आस्तियों के रूप में घोषणा.- (1) राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी विरासत आस्ति का संरक्षित आस्ति होना घोषित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसी कोई भी घोषणा करने से पूर्व राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसके ऐसा करने के आशय का दो मास पूर्व नोटिस देगी और ऐसे कारणों के कथन के साथ जिनसे ऐसी घोषणा प्रस्तावित की गयी है, ऐसी अधिसूचना की एक प्रति उस विरासत आस्ति के, जो संरक्षित के रूप में घोषित की जानी प्रस्तावित है, किसी सहजदृश्य स्थान पर या उसके निकट चिपकायी जायेगी।

(3) ऐसी विरासत आस्ति में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्, दो मास के भीतर-भीतर प्रस्तावित घोषणा पर आक्षेप कर सकेगा।

(4) राज्य सरकार, उक्त दो मास की कालावधि की समाप्ति पर, उसके द्वारा प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, किसी विरासत आस्ति का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संरक्षित विरासत आस्ति होना घोषित कर सकेगी।

(5) उप-धारा (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का किसी भी विरासत आस्ति के संबंध में यह समाधान हो जाये कि इसके हटाये जाने या गिराये जाने का आसन्न संकट है तो वह उक्त उप-धाराओं के अधीन कार्यवाही करने के बजाय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अधिसूचना में उसके समाधान के लिए अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उप-धारा (4) के अधीन किसी भी ऐसी विरासत आस्ति के संबंध में तत्काल घोषणा कर सकेगी:

परन्तु ऐसी किसी भी विरासत आस्ति में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो मास के भीतर-भीतर इस प्रकार की गयी घोषणा पर आक्षेप कर सकेगा और राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, आक्षेप को रद्द कर सकेगी या अधिसूचना को वापस ले सकेगी।

6. किसी विरासत आस्ति के संबंध में विनियमित क्षेत्र.- (1) प्रत्येक क्षेत्र, जिसमें कोई विरासत आस्ति स्थित है और संरक्षित विरासत आस्ति के साथ लगा हुआ ऐसा क्षेत्र, जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाये, परिषद् की सिफारिश पर, इस निमित्त बनाये गये नियमों के द्वारा, ऐसी विरासत आस्ति के संबंध में विनियमित क्षेत्र होगा।

(2) धारा 7 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति विनियमित क्षेत्र में कोई संनिर्माण या पुन:सन्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण नहीं करेगा।

7. विनियमित क्षेत्र में सन्निर्माण या पुन:सन्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन.- कोई व्यक्ति, जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन या संरचना या भूमि का स्वामित्व या कब्जा रखता है, और वह ऐसे भवन या संरचना का या, यथास्थिति, ऐसी भूमि पर, कोई सन्निर्माण या पुन:सन्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण करने का इच्छुक है तो वह सक्षम प्राधिकारी को, सन्निर्माण या पुन:सन्निर्माण या मरम्मत या, यथास्थिति, नवीकरण करने के लिए, आवेदन कर सकेगा।

8. विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा की मंजूरी.- (1) धारा 7 के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति से किया जायेगा जो विहित की जाये।

(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिवस के भीतर-भीतर, इसे प्राधिकरण को ऐसे संनिर्माण के प्रभाव पर, विरासत उप-विधियों को ध्यान में रखते हुए, विचार करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण, उप-धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर या तो अनुज्ञा मंजूर करने या इससे इंकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण से सिफारिश प्राप्त करने के एक मास के भीतर-भीतर प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की गयी सिफारिश पर या तो अनुज्ञा मंजूर करेगा या इससे इन्कार करेगा।

(5) प्राधिकरण की सिफारिशें अंतिम होंगी।

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने से इन्कार करता है तो ऐसे मामले में वह संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर ऐसे इन्कार किये जाने की सूचना देगा।

(7) यदि सक्षम प्राधिकारी की, उप-धारा (4) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने के पश्चात् और उस उप-धारा में निर्दिष्ट मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन के पुन:संनिर्माण या सन्निर्माण किये जाने के दौरान (उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर या अन्यथा), यह राय है कि ऐसी मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन के पुन:सन्निर्माण या सन्निर्माण से विरासत आस्ति के परिरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा या पहुंच पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ना संभाव्य है तो वह उसको प्राधिकरण को उसकी सिफारिश के लिए निदिष्ट कर सकेगा और यदि ऐसी सिफारिश की जाती है तो और यदि ऐसा किया जाना अपेक्षित हो तो उप-धारा (4) के अधीन मंजूर अनुज्ञा को वापस ले सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, प्राधिकरण के अनुमोदन से, धारा 7 में निदिष्ट आवेदक को तब तक अनुज्ञा मंजूर कर

सकेगा जब तक कि धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन विरासत उप-विधियां तैयार न कर ली गयी हों और उस धारा की उप-धारा (6) के अधीन प्रकाशित न की गयी हों।

(8) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन समस्त मंजूर या इन्कार की गयी अनुज्ञाओं को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

9. विरासत उप-विधियां.- (1) प्राधिकरण, संरक्षित विरासत आस्तियों के संबंध में विरासत उप-विधियां तैयार करेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विरासत उप-विधियों के अन्तर्गत, ऐसे मामलों के अतिरिक्त, जो विहित किये जायें, विरासत नियंत्रण से संबंधित मामले, जैसेकि उन्नयन, अग्रभाग, जल निकास प्रणालियां, सड़कें और सेवा अवसंरचना (बिजली के खम्बों, जल और मल की पाइपलाइनों सहित), होंगे।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, वह समय जिसके भीतर-भीतर ऐसी विरासत उप-विधियां तैयार की जायेंगी, प्रत्येक ऐसी विरासत उप-विधि में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां और संरक्षित विरासत आस्तियों और विनियमित क्षेत्र के संबंध में विस्तृत स्थल योजनाएं तैयार करने की रीति, विनिर्दिष्ट करेगी।

(4) प्राधिकरण, विस्तृत स्थल योजनाओं और विरासत उप-विधियां तैयार करने के प्रयोजन के लिए इतनी संख्या में विशेषज्ञों या परामर्शियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी विरासत उप-विधियों की एक प्रति परिषद् को उसके अनुमोदन के लिए अग्रेषित की जायेगी।

(6) विरासत उप-विधियां, परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रकाशित की जायेंगी और वे उस तारीख को प्रवृत्त होंगी जिस को वे इस प्रकार प्रकाशित होती हैं।

(7) उप-धारा (6) के अधीन यथा प्रकाशित विरासत उप-विधियों की प्रति राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

(8) विरासत उप-विधियां, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी वेबसाईट पर प्रदर्शित करके और ऐसी अन्य रीति से भी जो वह ठीक समझे, जन साधारण को उपलब्ध करवायी जायेंगी।

10. राजस्थान राज्य विरासत परिषद् का गठन.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान राज्य विरासत परिषद् के नाम से एक विरासत परिषद् का गठन करेगी।

(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) मुख्यमंत्री, राजस्थान - अध्यक्ष;

(ii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले तीन मंत्री, जिनमें से एक उपाध्यक्ष के रूप में भी नामनिर्देशित किया जायेगा - सदस्य;

(iii) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(iv) पंचायती राज विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(v) पर्यटन विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(vi) कला एवं संस्कृति विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(vii) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(viii) पर्यावरण विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(ix) विरासत संरक्षण, स्थापत्य, नगर नियोजन, इतिहास, सिविल अभियांत्रिकी या पर्यावरण के क्षेत्रों से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले चार से अन्यून और आठ से अनधिक विशेषज्ञ - सदस्य;

(x) नगर विकास और आवासन विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य-सचिव।

(3) परिषद् का प्रत्येक सदस्य, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, परिषद् द्वारा विचार किये जा रहे या विचार किये जाने वाले किसी मामले में अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन-संबंधी हित से संबंधित सूचना प्रकट करेगा और ऐसे मामले से संबंधित परिषद् की समस्त बैठकों और कार्यवाहियों से स्वयं को हटा लेगा।

(4) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(5) परिषद्, अपनी सहायता के लिए किसी विशेषज्ञ या विशेष आमंत्रितियों को आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे विशेषज्ञ या विशेष आमंत्रिती परिषद् की बैठकों में विचार-विमर्श में भाग ले सकेंगे किन्तु उसमें मत देने के हकदार नहीं होंगे।

(6) परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किये जायें।

(7) राज्य परिषद् वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेगी और आवश्यक गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(8) परिषद्, इसकी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो विहित किये जायें।

11. परिषद् के कृत्य और शक्तियां.- परिषद्, प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों को पर्यवेक्षित, नियंत्रित और निदेशित करेगी और विशिष्टतया और पूर्वगामी सामान्य शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार को विरासत आस्तियों के प्रवर्गों और वर्गों की सिफारिश करना;

(ख) राज्य सरकार को, किसी विरासत आस्ति की संरक्षित विरासत आस्ति के रूप में घोषणा की सिफारिश करना;

(ग) प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी विरासत उप-विधियों का अनुमोदन करना;

(घ) राज्य विरासत संरक्षण नीति तैयार करना और राज्य सरकार को इसकी सिफारिश करना;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी विरासत संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

(च) राज्य, राष्ट्रीय और बाह्य संगठनों, साथ ही साथ प्राईवेट सेक्टर के बीच, विरासत संरक्षण प्रयासों में साझेदारियां प्राप्त करना और स्थापित करना;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किये जायें।

12. राजस्थान विरासत प्राधिकरण का गठन.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान विरासत प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) प्राधिकरण उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की, और संविदा करने की शक्ति होगी और यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होगा, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा और जो विरासत संरक्षण, स्थापत्य, नगर नियोजन या इतिहास के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव और ज्ञान रखने वाला विख्यात व्यक्ति होगा और इसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) विरासत परिषद् का सदस्य-सचिव - उपाध्यक्ष;

(ii) कला एवं संस्कृति विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(iii) पर्यटन विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(iv) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(v) पंचायती राज विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(vi) पर्यावरण विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(vii) विरासत संरक्षण, स्थापत्य, नगर नियोजन, इतिहास, सिविल अभियांत्रिकी या पर्यावरण के क्षेत्रों से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले तीन से अन्यून और पांच से अनधिक विशेषज्ञ - सदस्य;

(viii) मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान - सदस्य-सचिव।

(4) प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, प्राधिकरण द्वारा विचार किये जा रहे या विचार किये जाने वाले किसी मामले में इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन-संबंधी हित से संबंधित सूचना प्रकट करेगा और ऐसे मामले से संबंधित प्राधिकरण की समस्त बैठकों और कार्यवाहियों से स्वयं को हटा लेगा।

(5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(6) प्राधिकरण, अपनी सहायता के लिए किसी भी विशेषज्ञ या विशेष आमंत्रितियों को आमंत्रित कर सकेगा और ऐसे विशेषज्ञ या विशेष आमंत्रिती प्राधिकरण की बैठकों में विचार-विमर्श में भाग ले सकेंगे किन्तु इसमें मत देने के हकदार नहीं होंगे।

(7) प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।

(8) प्राधिकरण इतनी बार बैठक कर सकेगा जितनी आवश्यकता हो, किन्तु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करने का प्रयास करेगा।

(9) बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत होगी।

(10) प्राधिकरण, इसकी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

13. प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां.- (1) प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य में विरासत आस्तियों की पहचान करना और उनकी सूची और डाटा बैंक तैयार करना;

(ख) विरासत उप-विधियां तैयार करना;

(ग) परिषद् से, किसी विरासत आस्ति की संरक्षित विरासत आस्ति के रूप में घोषणा करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने का प्रस्ताव करना;

(घ) संरक्षित विरासत आस्तियों और धारा 6 के अधीन घोषित विनियमित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और स्थल योजना तैयार करना;

(ङ) विरासत संरक्षण योजनाएं तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना;

(च) सक्षम प्राधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करना;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ज) धारा 8 के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें करना;

(झ) विरासत आस्तियों में, संरक्षण के प्रयोजन के लिए क्रय, पट्टे, दान या वसीयत के द्वारा अधिकार अर्जित करना;

(ञ) किसी संरक्षित विरासत आस्ति के स्वामियों से उसके संरक्षण के लिए करार करना;

(ट) विरासत आस्तियों, जो इसमें या राज्य सरकार में निहित हों या जिसमें इसने संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अधिकार अर्जित किये हों, के संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति, फर्म या न्यास से करार करना;

(ठ) विरासत निधि का प्रशासन करना;

(ड) विरासत स्थलों के आस-पास सुविधाएं और सुविधाजनक परिवहन और संबद्धता स्थापित करने सहित विरासत पर्यटन के लिए स्कीमें तैयार करना और निरूपित करना;

(ढ) विरासत आस्ति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(ण) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किये जायें।

14. संरक्षित विरासत आस्तियों का करार द्वारा संरक्षण.-(1) प्राधिकरण संरक्षित विरासत आस्तियों के स्वामी को विरासत आस्तियों के अनुरक्षण के लिए, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर राज्य सरकार के साथ करार करने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी करार में निम्नलिखित समस्त मामलों या इनमें से किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) विरासत आस्ति का रखरखाव और उसका अनुरक्षण;

(ख) विरासत आस्ति की अभिरक्षा और ऐसे किसी व्यक्ति के कर्तव्य, जिसे उस पर निगरानी रखने के लिए नियोजित किया जाये;

(ग) निम्नलिखित बातों के लिए स्वामी के अधिकार पर निर्बन्धन-

(i) किसी प्रयोजन के लिए विरासत आस्ति का उपयोग करना, या

(ii) विरासत आस्ति में प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने के लिए कोई फीस प्रभारित करना, या

(iii) विरासत आस्ति को नष्ट करना, हानि पहुंचाना, विकृत करना, विरूपित करना, परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे हटाना या विच्छिन्न करना या उसका क्षय होने देना;

(घ) जनता या जनता के किसी वर्ग को, या प्राधिकरण के अधिकारियों को या स्वामी या प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा विरासत आस्तियों का निरीक्षण या रखरखाव करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञात की जाने वाली पंहुच की सुविधाएं;

(ङ) यदि स्वामी द्वारा उस भूमि, जिस पर विरासत आस्ति स्थित है, को या किसी निकटस्थ भूमि को विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जाये तो प्राधिकरण को दिये जाने वाला नोटिस, और ऐसी भूमि को, या ऐसी भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग को, उसके बाजार मूल्य पर, क्रय करने का प्राधिकरण के पास आरक्षित रखा जाने वाला अधिकार;

(च) विरासत आस्ति के रखरखाव और उसकी देखरेख के संबंध में स्वामी द्वारा या प्राधिकरण द्वारा उपगत किन्हीं खर्चों का संदाय;

(छ) जब विरासत आस्ति के रखरखाव और उसकी देखरेख के संबंध में प्राधिकरण द्वारा कोई खर्चे उपगत किये जायें तो वे स्वत्व संबंधी या अन्य अधिकार, जो उस विरासत आस्ति के संबंध में प्राधिकरण में निहित होंगे;

(ज) करार से उद्भूत होने वाले किसी भी विवाद को विनिश्चित करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति; और

(झ) विरासत आस्ति के रखरखाव और उसकी देखरेख से संबंधित कोई भी मामला जो स्वामी और राज्य सरकार के बीच करार का उचित विषय हो।

(3) इस धारा के अधीन किसी करार के निबंधन, स्वामी की सहमति से, प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर परिवर्तित किये जा सकेंगे।

(4) प्राधिकरण या स्वामी, इस धारा के अधीन करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, दूसरे पक्षकार को छह मास का लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकेगा:

परन्तु करार की समाप्ति से ठीक पहले के पांच वर्षों के दौरान या, यदि करार इससे कम कालावधि के लिए प्रवृत्त रहा है तो करार के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान विरासत आस्ति के रखरखाव और देखरेख पर प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्चे, यदि कोई हों, प्राधिकरण को संदत्त करेगा।

(5) इस धारा के अधीन कोई करार ऐसे किसी भी व्यक्ति पर आबद्धकर होगा जो उस विरासत आस्ति का, जिसके कि वह संबंधित है, पक्षकार जिसके द्वारा या जिसके निमित्त वह करार निष्पादित किया गया था, से, उसकी मार्फत या उसके अधीन, स्वामी होने का दावा करता है।

15. करार करने में विफल रहना या इससे इन्कार करना.- (1) कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी संरक्षित विरासत आस्ति के अनुरक्षण और देखरेख के लिए धारा 14 के अधीन करार करने के लिए सक्षम है, यदि ऐसा करार करने में विफल रहता है या इससे इन्कार करता है तो प्राधिकरण, धारा 14 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों या उनमें से किसी मामले के लिए उपबंध करते हुए आदेश जारी कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन करने और सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति पर और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर, जो स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति, से, के माध्यम से या के अधीन विरासत आस्तियों पर हक के लिए दावा कर रहा हो, आबद्धकर होगा।

(4) जब उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश में यह उपबंधित हो कि विरासत आस्ति, करार करने के लिए सक्षम स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा संधारित की जायेगी तो विरासत आस्तियों के अनुरक्षण और देखरेख के लिए समस्त उचित व्यय प्राधिकरण द्वारा संदेय होंगे।

16. करारों का प्रवर्तन.- (1) यदि कोई स्वामी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो धारा 14 के अधीन, किसी संरक्षित विरासत आस्ति के अनुरक्षण और देखरेख के लिए करार द्वारा आबद्ध है, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो प्राधिकरण नियत करे, ऐसा कोई कार्य, जो प्राधिकरण की राय में विरासत आस्ति के अनुरक्षण और देखरेख के लिए आवश्यक हो, करने से इन्कार करता है या करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और स्वामी या अन्य व्यक्ति, ऐसे किसी भी कार्य को करने के खर्चों को या उनका ऐसा अंश, जिसे देने के लिए करार के अधीन स्वामी उत्तरदायी हो, देने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय व्यय की रकम के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. करार के उल्लंघन को निषिद्ध करते हुए आदेश देने की शक्ति.- (1) यदि सक्षम प्राधिकारी को यह आशंका हो कि संरक्षित विरासत आस्ति का स्वामी या अधिभोगी धारा 14 के अधीन करार की शर्तों के उल्लंघन में विरासत आस्तियों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने, विकृत करने, विरूपित करने, परिवर्तित करने, विच्छिन्न करने, हटाने, खतरे में डालने या उसका दुरुपयोग करने का या विरासत आस्तियों का क्षय होने देने का आशय रखता है तो वह, ऐसे स्वामी या अधिभोगी को लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात्, करार के ऐसे किसी भी उल्लंघन को प्रतिषिद्ध करते हुए आदेश दे सकेगा:

परन्तु ऐसे किसी भी मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जायेगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाये कि ऐसा करना समीचीन या व्यावहारिक नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति प्राधिकरण को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपील कर सकेगा और प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

18. क्रेता और स्वामी के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति लिखत द्वारा आबद्ध होंगे.- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी कोई भूमि क्रय करता है, जिस पर ऐसी कोई संरक्षित विरासत आस्तियां स्थित हैं, जिनके कि संबंध में, स्वामी द्वारा धारा 14 के अधीन तत्समय कोई लिखत निष्पादित की गयी है, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे स्वामी, जिसने ऐसी कोई भी लिखत निष्पादित की हो, से, उसकी मार्फत या उसके अधीन विरासत आस्ति पर, या उसमें किसी अधिकार, हक या हित के लिए दावा करता हो, ऐसे लिखत द्वारा आबद्ध होगा।

19. कतिपय विरासत आस्तियों के रखरखाव के लिए करार करने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, इसमें या राज्य सरकार में निहित किसी विरासत आस्ति या आस्ति जिसमें इसने संरक्षण के प्रयोजन के लिए अधिकार अर्जित किया है, के संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति, फर्म या न्यास से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो करार में विनिर्दिष्ट की जायें, करार कर सकेगी।

(2) धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, फर्म या न्यास, विरासत आस्ति के रखरखाव और फीस के संग्रहण में अन्तर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिधान पर युक्तियुक्त प्रत्यागम और दर्शकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, धारा 20 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण फीस या उसके ऐसे भाग को तथा ऐसी कालावधि के लिए, जो प्राधिकरण और ऐसे व्यक्ति, फर्म या, यथास्थिति, न्यास के बीच करार पायी जाये, संगृहीत और प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

20. प्रवेश फीस का उद्ग्रहण करने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 19 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विरासत आस्तियों के संबंध में प्रति व्यक्ति दो हजार पांच सौ रुपये से अनधिक की ऐसी दर पर जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, प्रवेश फीस का उद्ग्रहण कर सकेगा:

परन्तु प्राधिकरण, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग को, प्रवेश फीस के संदाय से पूर्णत: या भागत: छूट दे सकेगा और ऐसी छूट तब दी जायेगी जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश प्रदान किया जाये।

(2) ऐसी प्रवेश फीस, जब इस प्रकार उद्गृहीत की जाये, तब ऐसी रीति से संगृहीत की जायेगी जैसाकि प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाये।

21. प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.- (1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, इतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसी होंगी जैसेकि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विहित की जायें।

22. विरासत निधि.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी जिसका नाम राजस्थान विरासत निधि होगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, विरासत निधि में अनुदानों के रूप में ऐसी धन राशि संदत्त करेगी, जैसाकि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने लेने के लिए, उचित समझे।

(3) उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदत्त धन राशि के अतिरिक्त, विरासत निधि में निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों, विरासत संरक्षण के प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों या एजेंसियों से अंशदान, सहायता या संदान या विरासत संरक्षण में हितबद्ध किन्हीं न्यासों, सोसाइटियों, व्यक्तियों के संगमों, व्यष्टियों इत्यादि से संदान;

(ख) प्राधिकरण द्वारा फीस के रूप में प्राप्त कोई धन राशि;

(ग) विरासत संरक्षण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, परिषद् या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धन की अन्य कोई धन राशि।

(4) प्राधिकरण द्वारा, विरासत निधियों का उपयोग परिषद् और प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों को भत्तों का संदाय और प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों के संदाय को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में उपगत व्ययों की, पूर्ति करने में किया जायेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा, विरासत निधि का प्रशासन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

23. बजट.- (1) प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाये, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और इसे परिषद् और राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कोई व्यय उपगत नहीं करेगा।

24. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों का और आगामी वर्ष में अपनी योजना का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, और उसकी प्रति राज्य सरकार और परिषद् को प्रस्तुत करेगा। पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट योजनाओं के संबंध में प्राधिकरण के निष्पादन का पुनर्विलोकन भी प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट होगा।

25. लेखे और लेखापरीक्षा.- (1) प्राधिकरण के लेखों का संधारण ऐसे प्ररूप में और रीति से किया जायेगा जो विहित की जाये और उनकी

लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग के निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति या निकाय के द्वारा की जायेगी, जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) प्राधिकरण अपने लेखाओं की एक लेखापरीक्षित प्रति, उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

26. वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना.- राज्य सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

27. परिषद् की प्राधिकरण को निदेश जारी करने की शक्ति.- प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो परिषद् उसे समय-समय पर लिखित में दे:

परन्तु, इस धारा के अधीन कोई भी निदेश दिये जाने से पूर्व यथासाध्य, प्राधिकरण को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक अवसर दिया जायेगा।

28. प्राधिकरण की सक्षम प्राधिकारी को निदेश जारी करने की शक्ति.- सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो प्राधिकरण उसे समय-समय पर लिखित में दे।

29. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- किसी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी मामले के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्राधिकरण को अवधारित करने के लिए सशक्त किया गया हो, और इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश मंजूर नहीं किया जायेगा।

30. सूचना मांगने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार या परिषद् ऐसा करना समीचीन समझे, वहां वह लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण, या यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी से उसके कार्यकलापों से संबंधित ऐसी

लिखित सूचना, जैसीकि राज्य सरकार या परिषद् अपेक्षा करे, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जैसाकि विहित किया जाये, देने की मांग कर सकेगी।

31. परिषद् और प्राधिकरण की सहायता करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी.- (1) किसी राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी, परिषद् और प्राधिकरण की, उनके कृत्यों के निर्वहन में, सहायता करने के लिए आबद्ध होंगे और इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के संबंध में, परिषद् या प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपेक्षित, समस्त उचित सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी, उप-धारा (1) में की गयी किसी अध्यपेक्षा के अनुपालन में, कोई व्यय उपगत करता है तो प्राधिकरण ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगा।

(3) यदि प्राधिकरण और किसी स्थानीय प्राधिकारी के बीच, प्राधिकरण द्वारा संदेय व्ययों की रकम के संबंध में, कोई विवाद उद्भूत होता है, तो ऐसा विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और प्राधिकरण और संबंधित स्थानीय प्राधिकारी पर आबद्धकर होगा।

32. शास्तियां.- (1) जो कोई भी-

(क) किसी संरक्षित विरासत आस्ति को नष्ट करता है, हानि पहुंचाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, परिवर्तित करता है, हटाता है, विच्छिन्न करता है, उसका दुरुपयोग करता है, उसको खतरे में डालता है या उसका क्षय होने देता है, या

(ख) धारा 17 के अधीन किये गये किसी आदेश का, संरक्षित विरासत आस्ति का स्वामी या अधिभोगी होते हुए, उल्लंघन करता है, या

(ग) विनियमित क्षेत्र में किसी संनिर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत और नवीकरण को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञा के उल्लंघन में कार्यान्वित करता है;

वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों, या तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि राज्य सरकार, प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी, ऐसे किसी कार्य या बात को, जिससे किसी विनियमित क्षेत्र में कोई अप्राधिकृत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण होता है, करने के लिए कोई करार करता है या उसमें उपमत रहता है, करने से विरत रहता है, अनुज्ञात करता है, छिपाता है, या उसकी मौनानुमति देता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

33. परिषद् और प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.- परिषद् और प्राधिकरण के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम या उप-विधि के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

34. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई से संरक्षण.- परिषद् या प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उप-विधियों के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

35. प्रवेश करने की शक्ति.- इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन, राज्य सरकार या परिषद् या प्राधिकरण द्वारा इस

निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए जब कभी ऐसा किया जाना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और-

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा;

(ख) लेवल ले सकेगा;

(ग) अव-मृदा को खोद सकेगा या उसमें वेधन कर सकेगा;

(घ) संकर्म का सीमांकन और आशयित रेखांकन कर सकेगा;

(ङ) चिह्न लगाकर और झरी काट कर ऐसी सीमाएं और रेखाएं चिह्नित कर सकेगा; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जायें:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति अपने ऐसा करने के आशय की लिखित सूचना 24 घण्टे पूर्व ऐसे अधिभोगी को दिये बिना किसी सीमा या किसी परिवेष्टित परिसर में या निवास-गृह से संलग्न बाग में (उसके अधिभोगी की सहमति को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा।

36. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष जब कि वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा उपान्तरण या बातिलकरण

उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य को समृद्ध विरासत अतीत से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, इसलिए, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत जैसे कि स्थापत्य और सौन्दर्यपरकता की दृष्टि से सुन्दर और सांस्कृतिक भवनों, उनके आसपास के क्षेत्रों, इत्यादि को महत्व दे और उसे संरक्षित करे और इन विरासत आस्तियों से लगे हुए प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षित करे और उनका सुधार करे।

अनुरक्षण, अनुकूलन, उपयोग और पुन:उपयोग से स्थापत्य कला की विरासत से वहां भी सौन्दर्यपरक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जहां मूल उपयोग अधिक समय के लिए विकासक्षम नहीं हो सकता। एक ओर जहां, किसी अवसंरचना को सुरक्षित, स्थायी और उपयोगी बनाये जाने की अपेक्षाओं का समाधान करने के समुचित उपाय खोजने की तो दूसरी ओर, इसके स्वरूप और ऐतिहासिक और स्थापत्य संबंधी हित को बनाए रखने की रचनात्मक चुनौती है।

विरासत संरक्षण के विषयक मुद्दों का जिम्मा लेने के लिए ऐसी विरासत आस्तियां जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए उनकी पहचान करना और उन्हें उनके सौन्दर्यपरक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय या आध्यात्मिक महत्व के

आधार पर प्रवर्गीकृत और वर्गीकृत करना और उनके सरंक्षण के लिए उपबंध किया जाना समुचित समझा गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजपाल सिंह शेखावत,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (44) विधि/2/2014 जयपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015 प्रेषकः राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में मैं, राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2014 के खण्ड 10,12,14 और 22 इस विधेयक में विहित कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए राज्य विरासत परिषद् और विरासत प्राधिकरण के गठन का उपबंध है। इस परिषद् और प्राधिकरण का सचिवालय, नगर नियोजन विभाग, जयपुर में स्थापित किया जायेगा।

राज्य सरकार, विरासत निधि को, ऐसे अनुदानों के रूप में संदाय करेगी जो वह इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उचित समझे।

प्राक्कलित व्यय 151 लाख रुपये होगा, जिसमें से एक वर्ष के लिए 116 लाख रुपये आवर्ती व्यय होगा और 35 लाख रुपये अनावर्ती व्यय के रूप में होंगे।

राजपाल सिंह शेखावत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने वर्णित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए और प्राधिकरण को विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड	**के संबंध में**
राज्य सरकार	
4(1)	परिषद् की सिफारिश पर विरासत आस्तियों के प्रवर्ग विहित करना;
8(1)	वह रीति जिससे अनुज्ञा की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा, विहित करना;
9(2)	ऐसे मामले, जो विरासत उप-विधियों के अन्तर्गत होंगे, विहित करना;
10(6)	परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते विहित करना;
10(8)	परिषद् द्वारा इसकी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान पालन किये जाने वाले प्रक्रिया के नियम विहित करना;
11(छ)	परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य विहित करना;
12(7)	प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते विहित करना;
12(10)	प्राधिकरण द्वारा इसकी बैठकों में कार्य संचालन के दौरान पालन किये जाने वाले नियम विहित करना;
13(ण)	प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कृत्य विहित करना;
17(2)	वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे प्राधिकरण को अपील की जा सकेगी, विहित करना;
22(5)	वह रीति, जिससे प्राधिकरण द्वारा विरासत निधि का प्रशासन किया जायेगा, विहित करना;
23(1)	वह प्ररूप, जिसमें और समय जिस पर प्राधिकरण द्वारा बजट तैयार किया जायेगा, विहित करना;

24	वह प्ररूप, जिसमें और समय जिस पर प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, विहित करना;
25(1)	वह प्ररूप, जिसमें और रीति जिससे प्राधिकरण द्वारा लेखों का संधारण किया जायेगा, विहित करना;
25(2)	वह तारीख जिसके पूर्व प्राधिकरण अपने लेखाओं की एक लेखापरीक्षित प्रति, उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, विहित करना;
30	वह प्ररूप, जिसमें और रीति जिससे लिखित सूचना दी जायेगी, विहित करना;
35(च)	राज्य सरकार या परिषद् या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य या बातें विहित करना;
36	इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए;
प्राधिकरण	
21(2)	प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विहित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

राजपाल सिंह शेखावत,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 18 of 2015

THE RAJASTHAN HERITAGE CONSERVATION BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for identification, documentation, conservation and regulation of heritage assets in the State of Rajasthan and for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1)This Act may be called the Rajasthan Heritage Conservation Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Non-application of the Act. - Nothing in this Act shall apply to-

(i) ancient and historical monuments, or archaeological sites or remains, declared by or under any law made by Parliament to be of national importance;

(ii) any antiquities to which the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (Central Act No. 24 of 1958) applies;

(iii) any antiquities or art treasure to which the Antiquities and Art Treasure Act, 1972 (Central Act No. 52 of 1972) applies; or

(iv) any ancient or historical monuments, or archaeological sites or remains or antiquities to

which the Rajasthan Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1961 (No. 19 of 1961) applies.

3. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Authority" means the Rajasthan Heritage Authority constituted under section 12;

(b) "competent authority" means an officer of the State Government specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the State Government to perform functions under this Act:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for different areas and define their jurisdiction;

(c) "conservation", in relation to a heritage asset, means the management of that asset in a manner that will enable the heritage significance of that asset to be retained and includes the preservation, protection, restoration, re-construction, adaptation, and maintenance of that asset;

(d) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building;

(e) "Council" means the Rajasthan State Heritage Council constituted under section 10;

(f) "heritage asset" means the built heritage associated with historical and cultural background and natural appurtenants and includes buildings, structures, sites, streets,

landscapes, parks, gardens, localities, precincts, towns and other natural features and sites which are associated with built heritage, and which have aesthetic, cultural, historical, scientific, social, ecological, environmental or spiritual significance;

(g) "heritage bye-laws" means the heritage bye-laws made under section 9;

(h) "heritage databank" means a record of all heritage assets and other related data of heritage assets;

(i) "Heritage Fund" means the Rajasthan Heritage Fund established under section 22;

(j) "level of significance" indicates the context in which a heritage asset is important. A heritage asset can have more than one level of significance, however, for the purposes of this Act the following three levels of significance shall be taken in accout, namely:-

(i) State level significance – such assets which are of world, national or State importance and are listed in the heritage databanks as State level heritage;

(ii) district level significance – such assets which are of regional or district level importance and are listed in the heritage databank as district level heritage;

(iii) local level significance – such assets which are of city level or local level importance and are listed in the heritage databank as local level heritage;

(k) "listing" means documenting heritage asset and assigning heritage status to these assets in terms of their level of significance;

(l) local authority" means a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No.18 of 2009), a Panchayati Raj Institution constituted under the Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the Ajmer Development Authority constituted under the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013) or any other Authority declared by the State Government, by notification in the Official Gazette, to be a local authority for the purposes of this Act;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(o) "regulated area" means the area specified in section 6;

(p) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(q) "Secretary incharge" means the Secretary to the Government incharge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is incharge of a department.

4. Categorisation and classification of heritage assets.- (1) The State Government shall, on the recommendation of the Council, prescribe categories of heritage assets and while prescribing such categories it shall have regard to the aesthetic, cultural, historical, scientific, social, ecological, environmental or spiritual, archaeological and architectural value and such other factors as may be relevant for the purpose of such categorization.

(2) The State Government shall, on the recommendation of the Council, classify all the heritage assets in accordance with the categories prescribed under sub-section (1) and thereafter make the same available to the public and exhibit the same on its website and also in such other manner as it may deem fit.

5. Declaration of certain heritage assets as protected heritage assets.-(1)The State Government may, on the recommendation of the Council, declare for the purposes of this Act any heritage asset to be a protected heritage asset.

(2) Before making any such declaration as is referred to in sub-section (1), the State Government shall, by notification in the Official Gazette, give two months' notice of its intention to do so and a copy of such notification along with a statement of the reasons for which such declaration is proposed to be made, shall be affixed in a conspicuous place at or near the heritage asset which is proposed to be declared as protected.

(3) Any person interested in any such heritage asset may, within two months after the publication of such notification in the Official Gazette, object to the proposed declaration.

(4) On the expiration of the said period of two months the State Government may, after considering the objections, if any, received by it, declare by notification in the Official Gazette a heritage asset to be a protected heritage asset.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (3), where the State Government is satisfied with respect to any heritage asset, that there is immediate danger of its removal or destruction, it may instead of proceeding under the said sub-

sections, by notification in the Official Gazette and for reasons of its satisfaction to be recorded in such notification, forth with make a declaration under sub-section (4) in respect of any such heritage asset:

Provided that any person interested in any such heritage asset may within two months after the publication of such notification object to the declaration so made and the State Government after giving to such person an opportunity of being heard, may by order in writing dismiss the objection or withdraw the notification.

6. Regulated area in respect of a heritage asset.- (1) Every area wherein a heritage asset is situated and such area adjoining the protected heritage asset as may be specified, on the recommendation of the Council, by the rules made in this behalf shall be the regulated area in respect of such heritage asset.

(2) Save as otherwise provided in section 7, no person shall carry out any construction or re-construction or repair or renovation in regulated area.

7. Application for construction or reconstruction or repair or renovation in regulated area.- Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any regulated area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the competent authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation, as the case may be.

8. Grant of permission by competent authority within regulated area.- (1) Every application for grant of permission under section 7 shall be made to the competent authority in such manner as may be prescribed.

(2) The competent authority shall, within fifteen days of the receipt of the application, forward the same to the Authority to consider impact of such construction having regard to the heritage bye-laws.

(3) The Authority shall, within two months from the date of receipt of application under sub-section (2), recommend to the competent authority either to grant permission or refuse the same.

(4) The competent authority shall, within one month of the receipt of recommendation from the Authority under sub-section (3), either grant permission or refuse the same as so recommended by the Authority.

(5) The recommendations of the Authority shall be final.

(6) In case the competent authority refuses to grant permission under this section, it shall, by order in writing, after giving an opportunity to the concerned person, intimate such refusal within three months from the date of receipt of the application to the applicant.

(7) If the competent authority, after grant of the permission under sub-section (4) and during the carrying out of the repair or renovation work or re-construction of building or construction referred to in that sub-section, is of the opinion (on the basis of material in his possession or otherwise) that such repair or renovation work or re-construction of building or construction is likely to have an adverse impact on the preservation, safety, security or access to the heritage asset considerably, it may refer the same to the Authority for its recommendations and if so recommended, withdraw the permission granted under sub-section (4) if so required:

Provided that the competent authority may, in exceptional cases, with the approval of the Authority grant permission to the applicant referred to in section 7 until the heritage bye-laws have been prepared under sub-section (1) of section 9 and published under sub-section (6) of that section.

(8) The competent authority shall exhibit, on its website, all the permissions granted or refused under this Act.

9. Heritage bye-laws.- (1) The Authority shall prepare heritage bye-laws in respect of protected heritage assets.

(2) The heritage bye-laws referred to in sub-section (1) shall, in addition to such matters as may be prescribed, include

matters relating to heritage controls such as elevations, facades, drainage systems, roads and service infrastructure (including electric poles, water and sewer pipelines).

(3) The State Government shall, by rules, specify the time within which such heritage bye-laws shall be prepared, particulars to be included in each such heritage bye-laws and the manner of preparation of detailed site plans in respect of protected heritage assets and regulated area.

(4) The Authority for the purpose of preparation of detailed site plans and heritage bye-laws may appoint such number of experts or consultants as it may deem fit.

(5) A copy of the heritage bye-laws prepared under sub-section (1) shall be forwarded to the Council for its approval.

(6) The heritage bye-laws shall, after the approval of the Council, be published by the Authority by notification in the Official Gazette and they shall come into force on the date they are so published.

(7) A copy of the heritage bye-laws, as published under sub-section (6) shall be laid before the House of State Legislature.

(8) The heritage bye-laws shall be made available by the competent authority to the public, by exhibiting the same on its website and also in such other manner as it may deem fit.

10. Constitution of Rajasthan State Heritage Council.-*(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall , by notification in the Official Gazette, constitute a Heritage Council to be called as the Rajasthan State Heritage Council.*

(2) The Council shall consist of the following, namely:-

(i)	*Chief Minister of Rajasthan*	*Chairperson ;*
(ii)	*Three Ministers to be nominated by the Chief Minister, one of whom shall also be nominated as Vice-Chairperson*	

(iii)	*Secretary incharge of Finance Department*	*Member;*
(iv)	*Secretary incharge of Panchayati Raj Department*	*Member;*
(v)	*Secretary incharge of Tourism Department*	*Member;*
(vi)	*Secretary incharge of Art and Culture Department*	*Member;*
(vii)	*Secretary incharge of Local Self Government Department*	*Member;*
(viii)	*Secretary incharge of Environment Department*	*Member;*
(ix)	*Not less than four and not more than eight experts from the fields of Heritage Conservation, Architecture, Town Planning, History, Civil Engineering or Environment to be nominated by the State Government*	*Members;*
(x)	*Secretary incharge of Urban Development and Housing Department*	*Member Secretary.*

(3) Every member of the Council, including its Chairperson and Vice-Chairperson, shall disclose information regarding their direct or indirect pecuniary interest in a matter being considered or about to be considered by the Council and remove himself from all meetings and proceedings before the Council concerning such matter.

(4) In absence of the Chairperson, the meeting of the Council shall be presided over by the Vice-Chairperson.

(5) The Council may invite any expert or special invitees for its assistance and such expert or special invitee may take part in deliberations in meetings of the Council but shall not be entitled to vote thereat.

(6) The non-Government members of the Council shall be entitled to receive such allowances as may be prescribed.

(7) The State Council shall endeavour to conduct a minimum of two meetings per year, and the requisite quorum shall not be less than fifty percent of the total strength of members.

(8) The Council shall follow such rules of procedure while transacting business at its meetings as may be prescribed.

11. Functions and powers of the Council.- The Council shall supervise, control and direct the functions of the Authority and the competent authorities and in particular and without prejudice to the foregoing general power, exercise and discharge the following powers and functions, namely:-

(a) to recommend to the State Government categories and classes of heritage assets;

(b) to recommend to the State Government for declaration of a heritage asset as a protected heritage asset;

(c) to approve the heritage bye-laws prepared by the Authority;

(d) to prepare and recommend to the State Government the State Heritage Conservation Policy;

(e) to approve heritage conservation plan prepared by the Authority;

(f) to seek and establish partnerships in heritage conservation efforts between state, national, and external organizations as well as private sector;

(g) to exercise or discharge such other powers and functions as may be prescribed.

12. Constitution of Rajasthan Heritage Authority.- *(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute an authority to be called as the Rajasthan Heritage Authority.*

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(3) The Authority shall consist of a Chairperson, to be nominated by the Chief Minister, who shall be an eminent person having knowledge and experience of fifteen years in the fields of Heritage Conservation, Architecture, Town Planning or History and following other members, namely:-

(i)	*Member Secretary of Heritage Council*	*Vice Chairperson;*
(ii)	*Secretary incharge of Art and Culture Department*	*Member;*
(iii)	*Secretary incharge of Tourism Department*	*Member;*
(iv)	*Secretary incharge of Local Self Government Department*	*Member;*
(v)	*Secretary incharge of Panchayati Raj Department*	*Member;*
(vi)	*Secretary incharge of Environment Department*	*Member;*
(vii)	*Not less than three and not more than five experts from the fields of Heritage Conservation, Architecture, Town Planning, History, Civil Engineering or Environment to be nominated by the State Government*	*Members;*
(viii)	*Chief Town Planner, Rajasthan*	*Member-Secretary.*

(4) Every member of Authority including its Chairperson and Vice-Chairperson, shall disclose information regarding their

direct or indirect pecuniary interest in a matter being considered or about to be considered by the Authority and remove himself from all meetings and proceedings before the Authority concerning such matter.

(5) In absence of the Chairperson, the meeting of the Authority shall be presided over by the Vice-Chairperson.

(6) The Authority may invite any expert or special invitees for its assistance and such expert or special invitee may take part in deliberations in meetings of the Council but shall not be entitled to vote thereat.

(7) The non-Government members of the Authority shall be entitled to receive such allowances as may be prescribed.

(8) The Authority may meet as often as necessary but endeavour to meet at least once in each quarter.

(9) The requisite quorum for the meeting shall be fifty percent of the total strength of the members.

(10) The Authority shall follow such rules of procedure while transacting business at its meetings as may be prescribed.

13. Functions and powers of the Authority.- The Authority shall exercise and discharge the following powers and functions, namely:—

(a) to identify and prepare list and databank of heritage assets in the State;

(b) to prepare heritage be-laws ;

(c) to proposed to the Council to make recommendation to the State Government for declaration of a heritage asset as protected heritage asset;

(d) to conduct survey and prepare site plan of the protected heritage assets and the regulated area declared under section 6;

(e) to prepare and implement heritage conservation plans;

(f) oversee the working of the competent authorities;

(g) to suggest measures for implementation of the provisions of the Act;

(h) to make recommendations to the competent authority for grant of permission under section 8;

(i) to acquire rights in heritage assets by way of purchase, lease, gift or bequest for the purpose of conservation;

(j) to enter into agreement with the owners of a protected heritage asset for their conservation;

(k) to enter into agreement with any person, firm or trust for the conservation of the heritage assets vested in it or the State Government or in which it has acquired rights or the purposes of conservation;

(l) to administer the Heritage Fund;

(m) to prepare and formulate schemes for heritage tourism, including setting up amenities around the heritage site, and conducive transport and connectivity;

(n) to conduct training programmes in heritage conservation;

(o) to exercise or discharge such other powers and functions as may be prescribed.

14. Conservation of protected heritage assets by agreement.- (1) The Authority may propose to the owner of a protected heritage asset to enter into an agreement with the Authority within a specified period for the conservation of the heritage asset.

(2) An agreement under this section may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the maintenance and upkeep of the heritage asset;

(b) the custody of the heritage asset and the duties of any person who may be employed to watch it;

(c) the restriction of the owner's right -

(i) to use the heritage asset for any purpose, or

(ii) to charge any fee for entry into, or inspection of, the heritage asset, or

(iii) to destroy, injure, mutilate, deface, alter, repair, remove or disperse the heritage asset or to allow it to fall into decay;

(d) the facilities of access to be permitted to the public or any section thereof or to officers of the Authority or to persons deputed by the owner or any officer of the Authority to inspect or maintain the heritage asset;

(e) the notice to be given to the Authority in case the land on which the heritage asset is situated or any adjoining land is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the Authority to purchase such land, or any specified portion of such land, at its market value;

(f) the payments of any expenses incurred by the owner or by the Authority in connection with the maintenance and upkeep of the heritage asset;

(g) the proprietary or other rights which are to vest in the Authority in respect of the heritage asset when any expenses are incurred by the Authority in connection with the maintenance and upkeep of the heritage asset;

(h) the appointment of an authority to decide any dispute arising out of the agreement; and

(i) any matter connected with the maintenance and upkeep of the heritage asset which is a proper subject of agreement between the owner and the Authority.

(3) The terms of an agreement under this section may be altered from time to time by the Authority with the consent of the owner.

(4) The Authority or the owner may, at any time after the expiration of three years from the date of execution of an agreement under this section, terminate it on giving six months' notice in writing to the other party:

Provided that, where the agreement is terminated by the owner he shall pay to the Authority the expenses, if any, incurred by it on the maintenance and upkeep of the heritage asset during the five years immediately preceding the termination of the agreement or, if the agreement has been in force for a shorter period, during the period the agreement was in force.

(5) An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be the owner of the heritage asset to which it relates, from, through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.

15. Failure or refusal to enter into agreement.- (1) If any owner or other person competent to enter into an agreement under section 14 for the maintenance and upkeep of a protected heritage asset refuses or fails to enter into such an agreement, the Authority may make an order providing for all or any of the matters specified in sub-section (2) of section 14.

(2) No order under sub-section (1) shall be made unless the owner or such other person has been given an opportunity of making a representation in writing and being heard against the proposed order.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be binding on the owner or such other person and on every person claiming title to the heritage asset from, through or under the owner or such other person.

(4) When an order made sub-section (1) provides that the heritage asset shall be maintained by the owner or other person competent to enter into an agreement, all reasonable expenses for the maintenance and upkeep of the heritage asset shall be payable by the Authority.

16. Enforcement of agreements.- (1) If an owner or other person who is bound by an agreement for the maintenance and upkeep of a protected heritage asset under section 14 refuses or fails, within such reasonable time as the Authority may fix, to do any act which in the opinion of the Authority is necessary for the

maintenance and upkeep of the heritage asset, the Authority may authorise any person to do any such act, and the owner or other person shall be liable to pay the expenses of doing any such act or such portion of the expenses as the owner may be liable to pay under the agreement.

(2) If any dispute arises regarding the amount of expenses payable by the owner or other person under sub-section (1), it shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

17. Power to make order prohibiting contravention of agreement.- (1) If the Competent Authority apprehends that the owner or occupier of a protected heritage asset intends to destroy, injure, mutilate, deface, alter, disperse, remove, imperil or misuse the heritage asset or to allow it to fall into decay heritage asset in contravention of the terms of agreement under section 14, it may, after giving such owner or occupier an opportunity of making a representation in writing, make an order prohibiting any such contravention of the agreement :

Provided that no such opportunity may be given in any case where the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that it is not expedient or practicable to do so.

(2) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) may appeal to the Authority within such time and in such manner as may be prescribed and the decision of the Authority shall be final.

18. Purchasers and persons claiming through owner bound by instrument.- Every person who purchases any land on which is situated a protected heritage asset in respect of which any instrument has been executed by the owner for the time being under section 14, and every person claiming any right, title or interest to or in heritage asset from, through or under an owner who executed any such instrument, shall be bound by such instrument.

19. Power to enter into agreement for the maintenance of certain heritage assets.- (1) The Authority may, for the purpose of conservation of a heritage asset vested in it or in the State Government or in which it has acquired right for the purpose of conservation, enter into an agreement with any person, firm or trust on such terms and conditions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may be specified in the agreement.

(2) Notwithstanding anything contained in section 20, the person, firm or trust referred to in sub-section(1) shall be entitled to collect and retain the whole or such portion of the fee leviable under section 20 and for such period, as may be agreed upon between the Authority and such person, firm or trust, as the case may be, having regard to the expenditure involved in the maintenance of the heritage asset and collection of fee, interest on the capital invested, reasonable return on the investment and the volume of visitors.

20. Power to levy entrance fee.- (1) The Authority may, by notification in the Official Gazette, levy entrance fee in respect of heritage assets referred to in sub-section (1) of section 19, at such rates not exceeding two thousand five hundred rupees per head, as may be specified in such notification:

Provided that the Authority may, by like notification, exempt, wholly or partly, any class of persons from the payment of entrance fee and shall so exempt if directed so by the State Government.

(2) Such entrance fee when so levied shall be collected in such manner as may be determined by the Authority.

21. Staff of the Authority.- (1) For the purpose of discharging its functions, the Authority may, with the prior approval of the State Government, appoint such number of officers and employees as it may consider necessary.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be such as may be prescribed by regulations made by the Authority with the prior approval of the State Government.

22. Heritage Fund.- *(1) There shall be established a fund known as the Rajasthan Heritage Fund for the purposes of this Act.*

(2) The State Government shall, after due appropriate made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Heritage Fund by way of grants such sum of money as the State Government may think fit for being utilise for the purposes of this Act.

(3) In addition to the sum of money paid by the State Government under sub-section (2), the following shall be credited to the Heritage Fund, namely:-

(a) contributions, aids or donations from Central Government, national or international agencies, non-government organizations or agencies for the purpose of heritage conservation or donations from any trusts, societies, associations of persons, individuals etc., interested in heritage conservation;

(b) any sum of money received by the Authority by way of fees;

(c) any other sum of money received by the State Government, the Council or the Authority for the purpose of heritage conservation.

(4) The Heritage Funds shall be ustilised by the Authority for meeting out the expenses incurred in the carrying out the purposes of this Act including the payment of allowances to the non-Government members of the Council and the Authority, payment of salaries and allowances to the officers and staff of the Authority.

(5) The Heritage Fund shall be administered by the Authority in such manner as may be prescribed.

23.Budget.-(1)The Authority shall prepare in each financial year, in such form and at such time as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same for the approval of the Council and the State Government.

(2) The Authority shall not incur any expenditure otherwise than in accordance with the budget provisions as approved by the State Government.

24. Annual report.- The Authority shall prepare, in such form and at such time as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and its plans for the forthcoming year, and submit a copy thereof to the State Government and the Council. Every annual report shall also contain a review of the performance of the Authority in respect of the plans contained in the preceding annual report.

25. Accounts and audit.- (1) The accounts of the Authority shall be maintained in such form and manner as may prescribe and shall be audited by the Director of Local Fund Audit Department or by such other person or body as the State Government may determine from time to time.

(2) The Authority shall furnish to the State Government before such date as may be prescribed a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

26. Annual report and auditor's report to be laid before the State Legislature.- The State Government shall cause the annual report of the Authority and the auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the House of the State Legislature.

27. Power of the Council to issue directions to Authority.- The Authority shall, in exercise of its powers or the discharge of its functions under this Act, be bound by such directions as the Council may give in writing to it from time to time:

Provided that the Authority shall, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this section.

28. Power of the Authority to issue directions to competent authority.- The competent authority shall, in exercise of its powers or the discharge of its functions under this Act, be

bound by such directions, as the Authority may give in writing to it from time to time.

29. Bar of jurisdiction of civil court.- No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Authority is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

30. Power to call for information.-Where the State Government or the Council considers it expedient so to do, it may, by order in writing call upon the Authority or the competent authority, as the case may be, to furnish in writing such information, in such form and manner as may be prescribed, relating to its affairs as the State Government or the Council may require.

31. Local authorities to assist the Council and the Authority.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any Rajasthan law, the local authorities shall be bound to assist the Council and the Authority in discharge of their functions under this Act and provide all the reasonable assistance required by the Council or the Authority or any officer or employee of the Authority required by them in connection with the carrying out the provisions of this Act.

(2) If any local authority incurs any expenditure in complying with any requisition made under sub-section(1), the Authority shall reimburse such expenses.

(3) If any dispute arises between the Authority and a local authority regarding the amount of the expenses payable by the Authority, the same shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final and binding on the Authority and the local authority concerned.

32. Penalties.- (1) Whoever –

(a) destroys, injures, mutilates, defaces, alters, removes, disperses, misuses, imperils or allows to fall into decay a protected heritage asset, or

(b) being the owner or occupier of protected heritage asset, contravenes an order made under section 17, or

(c) carries out any construction, re-construction or repair and renovation in the regulated area without the previous permission of the competent authority or in contravention of the permission granted by the competent authority,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

(2) Whoever contravenes any other provisions of this Act or the provisions of the rules, regulations or bye- laws made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both.

(3) If any officer of the State Government, the Authority or any local authority enters into or acquiesces in any agreement to do, abstains from doing, permits, conceals or connives at any act or thing whereby any unauthorised construction, re-construction or repair or renovation takes place in a regulated area, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

33. The members, officers and employees of the Council and the Authority to be public servants.- All members, officers and employees of the Council and the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rule, regulation or bye-law made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

34. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Council or the Authority or any member or officer or employee thereof for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules, regulations or bye-laws made thereunder.

35. Power of entry.- Subject to any rules made in this behalf, any person, generally or specially authorised by the State Government or the Council or the Authority in this behalf, may, whenever it is necessary so to do for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises, and-

(a) make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry;

(b) take levels;

(c) dig or bore into sub-soil;

(d) set out boundaries and intended lines of work;

(e) mark such boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or

(f) do such other acts or things as may be prescribed:

Provided that no such person shall enter any boundary or any enclosed court or garden attached to a dwelling house (except with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

36. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or resolves that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Rajasthan has rich heritage inherited from the past, therefore, it shall be the duty of the State to value and preserve the rich heritage of our culture such as architecturally and aesthetically beautiful and cultural buildings, their surroundings, etc. and to protect and improve the natural surroundings appurtenant to the heritage assets.

Maintenance, adaptation, use and re-use can allow the architectural heritage to yield aesthetic, environmental and economic benefits even where the original use may no longer be viable. The creative challenge is to find appropriate ways to satisfy the requirements of a structure to be safe, durable and useful on the one hand, and to retain its character and historical and architectural interest on the other.

To undertake the issues in heritage conservation it is considered appropriate to identify the heritage assets which merit conservation and to categorize and classify them based on their aesthetic, cultural, historical, scientific, social, ecological environmental or spiritual significance and also to provide for their protection.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजपाल सिंह शेखावत,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (44) विधि/2/2014 जयपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015 प्रेषकः राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में मैं, राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 10, 12, 14 and 22 of the Bill 2014 provide for constitution of State Heritage Council and Heritage Authority for the purpose of discharging the functions prescribed in the Bill. The Secretariat of this Council and Authority will be established in Town Planning Department, Jaipur.

The State Government shall pay to the Heritage Fund by way of grants as may think fit for utilising for the purpose of this Bill.

The estimated expenditure shall be rupees 151 lac, out of which Rupees 116 lac shall be recurring expenditure for one year and rupees 35 lac as non-recurring expenditure.

राजपाल सिंह शेखावत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower, the State Government to make rules and Authority to make regulations with respect to matters stated against each such clause:-

Clauses	**With respect to**
	State Government
4(1)	prescribing the categories of heritage assets on the recommendation of the Council;
8(1)	prescribing the manner in which the application for grant of permission shall be made to the competent authority;
9(2)	prescribing the matters which shall be included in heritage bye-laws;
10(6)	prescribing the allowances of non-Government members of the Council;
10(8)	prescribing the rules of procedure, while transacting its business, to be followed by the Council;
11(g)	prescribing the other powers and functions of the Council;
12(7)	prescribing the allowances of non-Government members of the Authority;
12(10)	prescribing the rules of procedure, while transacting its business, to be followed by the Authority;
13(o)	prescribing the other powers and functions of the Authority;
17(2)	prescribing the time and manner in which the appeal to the Authority;
22 (5)	prescribing the manner in which, the Heritage Fund shall be administered by the Authority;
23 (1)	prescribing the form in which and time at which the budget shall be prepared by the Authority;
24	prescribing the form in which and time at which the annual report shall be prepared by the Authority;

25 (1)	prescribing the form and manner in which the Authority shall maintain the accounts;
25 (2)	prescribing the date before which the Authority shall furnish a copy of its audited accounts together with the auditor's report to the State Government;
30	prescribing the form and manner in which the information in writing to be furnished;
35 (f)	prescribing the other acts or things to be done by any person authorized by the State Government or the Council or the Authority;
36	generally to carry out the purposes of this Act;
Authority	
21 (2)	prescribing the salary, allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

राजपाल सिंह शेखावत,
Minister Incharge.

2015 का विधेयक सं.18

राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में विरासत आस्तियों की पहचान, प्रलेखीकरण, संरक्षण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(राजपाल सिंह शेखावत, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 18 of 2015

THE RAJASTHAN HERITAGE CONSERVATION BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for identification, documentation, conservation and regulation of heritage assets in the State of Rajasthan and for the matters connected therewith and incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Rajpal Singh Shekhawat, **Minister-Incharge**)